UPAG010059062026

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी एक्ट), आगरा।
उपस्थित : शिव कुमार-II, एच0जे0एस0–UP06100
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2557/2026

1– रूपेन्द्र सिंह पु स्व0 श्री हेत सिंह,
2– राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री छिद्दा सिंह,
3– बेताल सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह,
4– आशाराम पुत्र श्री सोरन सिंह,
निवासीगण– बरबर सहालेनगर, थाना खेरागढ़, जिला आगरा।

.....प्रार्थीग्ण/अभियुक्तगण

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. वादिया मुकदमा।

.....विपक्षीगण

एस.एस.टी. नं0 1657/2024
अपराध सं0–176/2023
धारा–504 व 506 भा0दं0सं0 एवं
धारा 3(1)द,ध 3(2)5ए एस.सी./एस.टी.एक्ट
थाना– खेरागढ़ जिला आगरा

दिनांक 18.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **रूपेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, बेताल सिंह, आशाराम** की ओर से एस.एस.टी. नं0 1657/2024, अपराध सं0–176/2023, धारा– 504 व 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)द,ध 3(2)5ए एस.सी./एस.टी.एक्ट थाना– खेरागढ़ जिला आगरा के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थीग्ण/अभियुक्तगण के पैरोकार पंकज कुमार के संयुक्त शपथ पत्र से समर्थित है जिसमें यह वर्णित है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नही है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मुकदमा वादिया श्रीमती राधा दिवाकर द्वारा इस आशय की तहरीर थाना खेरागढ़, जिला आगरा पर दी गई कि प्रार्थिया धोबी दिवाकर अनुसूचित जाति की गरीब महिला है तथा प्रार्थिया के प्लाट पर आपराधिक प्रवृत्ति के दबंग स्वर्ण राजेन्द्र, बेताल, रूपेन्द्र, आशाराम ने जबरन लाठी के बल पर कब्जा कर प्रार्थिया व उसके परिवार को गांव से भगा दिया है जो इधर–उधर भटक रहा है। प्रार्थिया व उसके पति ने उक्त लोगों से ऐसा करने से मना किया तो उन्हें अपमानित कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी गयी। प्रार्थिया मानसिक व आर्थिक रूप से तंग व परेशान है।

4– वादिया मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना खेरागढ़ आगरा पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 176/2023 में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद विवेचना अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 504 व 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)द,ध 3(2)5ए एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया।

5– प्रार्थीग्ण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण ने कोई अपराध नहीं किया है, अभियुक्तगण को झूॅठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण द्वारा किसी भी तरह की कोई मारपीट करना नहीं बताया गया है ना ही उपरोक्त मामले में किसी भी व्यक्ति को कोई भी चोट आना दर्शित है। वादिया मुकदमा द्वारा मात्र झूॅठे कथनों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है क्योंकि अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त वादिया के विरूद्ध वाद सं0 949/2023 दाखिल किया गया है तथा इसी मुकदमें में राजीनामा करने का दबाव बनाने के लिए यह झूॅठा मुकदमा दाखिल किया गया है। अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण न्यायालय के आदेश से अंतरिम जमानत पर थे तथा आज अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में आत्म समर्पण किया गया और वह न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

6– वादिया मुकदमा को नोटिस प्राप्त कराया जा चुका है। वादिया मुकदमा द्वारा फैहरिस्त से मु0अ0सं0 193 /2021 की छायाप्रति दाखिल की गयी है। वादिया मुकदमा द्वारा जवाब दाखिल कर कथन किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध है तथा उपरोक्त घटना यह दर्शाती है कि अभियुक्तगण कानून का सम्मान नहीं करते है तथा वादिया पर निरन्तर दबाव बना रहे है। न्यायहित में आवश्यक है कि अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाये। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

7– अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण ने यह जानते हुए कि वादिया अनुसूचित जाति की सदस्य है, वादिया मुकदमा तथा उसके परिवारीजन के गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गयी एवं सार्वजनिक स्थान पर वादिया मुकदमा को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

8– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, वादिया के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली एवं अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

9– अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा वादिया मुकदमा व उसके परिवारीजन के साथ गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी दिये जाने तथा यह जानते हुए कि वादिया मुकदमा अनुसूचित जाति की सदस्या है, को सार्वजनिक स्थान पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का अभियोग है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक व समय अंकित नहीं कराया है तथा थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 07.09.2023 को समय 08.55 बजे पंजीकृत गयी है। प्रस्तुत मामले में बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के बिना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। इस प्रकार विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में साक्ष्य एकत्रित किया जाना शेष नही है तथा प्रार्थीग्ण/अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में सहयोग प्रदान किया गया है। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण न्यायालय के आदेश से अंतरिम जमानत पर थे और आज न्यायालय में आत्म समर्पण पर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन द्वारा प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है।

10– अतएव न्यायालय के विचार में प्रस्तुत मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण की कतिपय शर्तो पर जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **रूपेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, बेताल सिंह, आशाराम** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा अंकन 50,000–50,000/–रूपये की व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो–दो जमानतें प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ जमानत प्रदान की जाती है कि :–

1– यह कि अभियुक्तगण वादिया व साक्षियों पर भय, प्रलोभन व दबाव नही डालेंगे।
2– यह कि अभियुक्तगण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नही करेंगे।
3– यह कि अभियुक्तगण द्वारा विचारण में पूर्ण सहयोग किया जायेंगे।
4– यह कि अभियुक्तगण इसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नही करेंगे।

(**शिव कुमार-II**)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट),
आगरा।

Digitally signed by Shiv Kumar II
Date: 2026.06.19 07:31:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court